

राजस्थान सरकार
निदेशालय जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक:- एफ.18(I-49)/आई.डब्ल्यू.एम.पी./निजमूस/2011-12/64-95 दिनांक: 11-4-12
13

परियोजना प्रबन्धक (WCDC) एवं
अधिशाषी अभियन्ता (भू संसाधन)
जिला परिषद


विषय:- डीपीआर में भारत सरकार द्वारा किए गये संशोधन अनुसार कार्यवाही
करने बाबत।

संदर्भ:- निदेशालय कार्यालय आदेश क्रमांक एफ 18(I-13) निजमूस/
आईडब्ल्यूएमपी /2011/6867-6951 दिनांक 15.12.2011

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से भारत सरकार के पत्र क्रमांक
Z-11011/11/2010-PPC दिनांक 11.10.2011 द्वारा आईडब्ल्यूएमपी योजना अन्तर्गत
विभिन्न घटकों में राशि के प्रतिशत में किए गये आंशिक परिवर्तन बाबत अवगत कराया
गया था।

उक्त संशोधन अनुसार जलग्रहण विकास कार्य घटक में 56 प्रतिशत,
जिविकोपार्जन गतिविधियों में 9 प्रतिशत एवं उत्पादन एवं माइक्रो एन्टरप्राइजेज घटक में
10 प्रतिशत प्रावधान निर्धारित किए गए हैं।

उक्त संशोधन के संदर्भ में निर्देशित किया जाता है कि भारत सरकार द्वारा राशि
के प्रतिशत में किए गए परिवर्तन अनुसार वर्ष 2009-10 की स्वीकृत डीपीआर में
आवश्यक संशोधन करवाना सुनिश्चित करे तथा कार्यों का क्रियान्वयन संशोधित प्रावधान
अनुरूप करे। वर्ष 2010-11 की डीपीआर भी संशोधित प्रावधान अनुसार ही तैयार
करवाए।


निदेशक